संख्या-34/2022/517/छप्पन-2022-31/2016(CC)

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2022

विषय: नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में हुए व्यय में राज्य सरकार की अंशधारिता के अनुसार वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-599/ए.एफ.-2022-116/2016 दिनांक 24 मार्च, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में हुए व्यय रू0 6,58,81,128/- में से अन्य व्यय की धनराशि रू0 63,46,456/- को कम करते हुए अवशेष कुल धनराशि रू0 5,95,34,672/- (रूपए पॉच करोड़ पचानवे लाख चौंतीस हजार छ: सौ बहत्तर मात्र) में से NIAL में राज्य सरकार की 37.5% अंशधारिता के अनुसार धनराशि रू0 2,23,25,502/- (रूपए दो करोड़ तेईस लाख पच्चीस हजार पाँच सौ दो मात्र) के भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में हुए व्यय के अन्तर्गत मांग की गई धनराशि रू0 6,58,81,128/- में से अन्य व्यय की धनराशि रू0 63,46,456/- को कम करते हुए अवशेष कुल धनराशि रू0 5,95,34,672/- (रूपए पॉच करोड़ पचानवे लाख चौंतीस हजार छ: सौ बहत्तर मात्र) में से NIAL में राज्य सरकार की अंशधारिता 37.5% के अनुसार धनराशि रू0 2,23,25,502/- (रूपए दो करोड़ तेईस लाख पच्चीस हजार पाँच सौ दो मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 में व्यय की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/नियमों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(9) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में हुए व्यय के भुगतान हेतु NIAL के शेष अंशधारकों द्वारा अपनी-अपनी अंशधारिता के अनुसार धनराशि यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के खाता संख्या-003101220785, ICICI बैंक, आई0एफ0एस0सी0 कोड ICIC0002183 में तत्काल हस्तान्तरित कराई जाए।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 2,23,25,502/- (रूपए दो करोड़ तेईस लाख पच्चीस हजार पाँच सौ दो मात्र) तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर रखी जाएगी, जिसे जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा तत्काल यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के खाता संख्या-003101220785, ICICI बैंक, आई0एफ0एस0सी0 कोड ICIC0002183 में हस्तान्तरित किया जाएगा।

4- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत पूँजी लेखा "लेखाशीर्ष 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-21-गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य" से वहन की जाएगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7-3555/दस-2021-22, दिनांक 30 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 34/2022/517(1)/छप्पन-2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नॉएडा/ग्रेटर नॉएडा/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में हुए व्यय के भुगतान हेतु NIAL के अंशधारकों के रूप में अपनी-अपनी अंशधारिता के अनुसार धनराशि तत्काल यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के खाता संख्या-003101220785, ICICI बैंक, आई0एफ0एस0सी0 कोड ICIC0002183 में हस्तान्तरित करने का कष्ट करें।

4- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

5- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

6- कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर।

7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

8- विशेष कार्याधिकारी (श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया), नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0/नोडल अधिकारी, जेवर एयरपोर्ट, गौतमबुद्धनगर।

9- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।

10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7.

11- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।